कार्यालय मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

निर्वाचन भवन, द्वितीय तल, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल
(ए–223 / रासूआ / 53 / ग्वालियर / 2006)
एवं
(ए–225 / रासूआ / 53 / ग्वालियर / 2006)

श्री बलवंत सिंह हैहयवंशी — अपीलकर्ता
बाल विकास परियोजना अधिकारी,
ग्वालियर

विरूद्ध

महिला एवं बाल विकास अधिकारी, — **प्रथम अपीलीय अधिकारी**
महिला एवं बाल विकास विभाग,
मुरैना

आदेश
(दिनांक 21.07.06)

श्री बलवंत सिंह हैहयवंशी, अपीलकर्ता, ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत की है। अपीलकर्ता ने एक आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 24.12.2005 को प्रस्तुत करके निम्न जानकारी मांगी थी –

A. एनिमिया प्रोग्राम के तहत इस जिले को यूनिसेफ से कितनी राशि इस वर्ष 1 जनवरी 2005 से अब तक खर्च हुई के अन्तर्गत प्रत्येक माह के व्यय पत्रक की फोटो प्रति।

B. छठे बाल संजीवनी अभियान के अन्तर्गत इस वर्ष छपवाये गये ग्रोथ चार्ट, पो0 आ0 पंजी, उपस्थिति पंजी, वजन चार्ट पंजी, परियोजना की संकलित रिपोर्ट पंजी छपवाये गये हैं के सम्बन्ध में निम्न पत्रक –

I. कुटेशन मंगाने के पत्र की फोटो प्रति।
II. कुटेशन कहां–कहां से आये उन पत्रों की फोटो प्रति ।
III. कुटेशन का तुलनात्मक पत्रक ।
IV. सामग्री मंगाये जाने के आदेश की प्रति ।
V. सामाग्री के बिल की फोटो प्रति ।

VI- (1) लगायत (ट) के सम्बन्ध में जो भी कार्यवाही हुई है। उससे सम्बन्धित नोट–शीट की फोटो प्रति

C- जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय का स्थापना सम्बन्धी व्यय पत्रक जून 2005 से नवंबर 2005 तक

D- श्रीमती उषा शाक्या, पर्यवेक्षक 2003 में अब तक अवकाश स्वीकृत करने के आदेश की प्रतिलिपि एवं अवकाश के सम्बन्ध में सम्पूर्ण नोटशीट की प्रतिलिपि ।

E- सबलगढ़ परियोजना जिसकी श्रीमान जी प्रभारी अधिकारी हैं महालेखाकार कार्यालय द्वारा किशोर बालिका प्रशिक्षण में की गई अनियमितताओं के पत्र की फोटो प्रति एवं उससे सम्बन्धित कोई कार्यवाही हुई हो उससे सम्बिन्धित पत्र की फोटो प्रति ।

F- श्रीमती उषा शाक्य एवं उसके पति द्वारा मकान किराया भत्ता प्राप्त किया जा रहा था उससे सम्बन्धित CMHO एवं GMO का पत्र जो परियोजना अधिकारी सबलगढ़ के नाम है, उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि तथा इस वसूली के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही हुई हो तो उससे सम्बन्धित कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि, वसूली वा चार्ट इत्यादि ।

G- श्रीमती उषा शाक्य पर्यवेक्षक सबलगढ से सम्बन्धित निम्न पत्रों की फोटो प्रति।

I- SDM महोदय सबलगढ़ द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय (श्री अगनानीजी) को लिखा गया अर्द्धशासकीय पत्र की फोटो प्रति ।

II- SDM महोदय सबलगढ़ के अर्द्धशासकीय पत्र के आधार पर संचालनालय/आयुक्त को लिखे पत्र/DO की प्रतिलिपि ।

III- श्रीमती उषा शाक्य को भारमुक्त करने का जिला कार्यक्रम अधिकारी का पत्र जो परियोजना अधिकारी को लिखा गया । पत्र की फोटो प्रति ।

IV- श्रीमती उषा शाक्य को भारमुक्त किया गया उस पत्र की फोटो प्रति।

V- श्रीमती उषा शाक्य को भारमुक्त करने के पश्चात् भी किस अधिकार से कार्य कराया जा रहा है उससे सम्बन्धित पत्र की फोटो प्रति, उनके ज्वाइनिंग की प्रति, उसमें जो मेडीकल प्रपत्र लगे हैं उसकी फोटो प्रति.।

2. इस आवेदन को लोक सूचना अधिकारी एवं जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, मुरैना ने अपने आदेश दिनांक 29.12.2005 के द्वारा इस आधार पर निरस्त कर दिया था कि अपीलकर्ता को राज्य शासन ने निलंबित किया है एवं निलंबन करने के पूर्व प्रारंभिक जांच में अपीलकर्ता को दोषी पाया गया है। राज्य शासन ने उनके विरूद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। ऐसी स्थिति में अपीलकर्ता को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1) (ई) एवं (एच) के तहत आवेदित सूचना का प्रकटीकरण उचित प्रतीत नही होता है।

3. इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलकर्ता ने एक अपील अपीलीय अधिकारी एवं कलेक्टर, मुरैना को की थी । अपीलीय अधिकारी ने अपील को स्वीकार करते हुए अपने आदेश दिनांक 01.02.06 में लोक सूचना अधिकारी के दिनांक 29.12.05 के आदेश को निरस्त किया है और लोक सूचना अधिकारी को यह निर्देशित किया है कि अपीलकर्ता द्वारा विधिवत फीस जमा करने पर अभिलेख की प्रति दी जाये ।

4. इस आदेश के पारित होने के उपरांत अपीलकता ने एक आवेदन पत्र जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग को दिनांक 20.02.2006 को दिया था जिसमें यह उल्लेखित किया था कि उनकी अपील मंजूर की जा चुकी है और वह दस्तावेज प्राप्त करने के लिये अग्रिम रूप में 500 रूपये जमा करना चाहते हैं, किन्तु किसी जिम्मेदार अधिकारी के न रहने के कारण जमा नहीं कर सके । उन्होंने लेखापाल को 500/- रूपये देने का प्रयत्न किया लेकिन उनके द्वारा लेने से मना किया गया । उन्होंने निवेदन किया है कि उन्हे कितनी राशि जमा करनी है इसकी सूचना उनके पते पर दी जाये ताकि वह राशि जमा कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सके । इस आवेदन पत्र के उत्तर में जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 08.03.06 के द्वारा यह सूचना दी गई कि चाही गई जानकारी की छाया प्रतियां बहुत अधिक है और वर्तमान में कार्यालयीन कार्य, विधान सभा, अन्तराष्ट्रीय महिला मासिक जानकारी एवं राज्य स्तरीय बैठक की जानकारी भोपाल भेजी जाना है, और वह तैयार की जा रही है ऐसी स्थिति में जानकारियों की प्रतियों की गणना करना 'आज' संभव नहीं हो पा रहा है । अतः अपीलकर्ता दिनांक 14.03.06 को कार्यालय में शुल्क जमा करने के लिये उपलब्ध होने को कहा तब उन्हे बताया जायेगा कि उन्हें कितनी राशि जमा करनी है । दिनांक 14.03.06 को अपीलकर्ता की उपस्थिति के दौरान उन्हें यह बताया गया कि उन्हें कितनी राशि जमा करानी है और उन्हें यह भी बताया गया कि उन्हें यह जानकारी दिनांक 13.04.06 को दे दी जायेगी। अपीलकर्ता ने उसी दिन 1200/- रूपये जानकारी की प्रति प्राप्त करने के लिये जमा की । लेकिन उन्हें दिनांक 13.04.2006 तक जानकारी प्राप्त नहीं हुई ।

5. अपीलकर्ता ने जानकारी प्राप्त न होने से दिनांक 24.04.2006 को द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग में प्रस्तुत की । उसमें उसने उन सब तथ्यों को उल्लेखित किया जो उपर वर्णित किये जा चुके है। अपीलकर्ता ने जानकारी दिलाने के लिये निवेदन

किया है और निर्धारित समय में जानकारी न देने के कारण उसपर शस्ति अधिरोपित करने का अनुरोध किया है। स्पष्टतः यह प्रकरण अपील के किसी बिन्दु पर निर्णय देने के लिये प्रस्तुत किया गया बल्कि अपील अधिकारी द्वारा दिनांक 01.02.06 को जो आदेश पारित किया गया है। उसको कार्यान्वित कराने के सम्बन्ध में है।

6. लोक सूचना अधिकारी को इस अपील के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये अवसर प्रदान किया गया । उसने अपील के सम्बन्ध में अपना लिखित उत्तर दिनांक 19.05.2006 को भेजा जो राज्य सूचना आयोग में दिनांक 25.05.06 को प्राप्त हुआ । इसमें उन्होंने उन सभी आरोपों को अस्वीकार किया है । इस उत्तर में उन्होंने यह कहीं नहीं दर्शाया है कि उन्होंने अपीलकर्ता को मांगी गई जानकारी प्रदान कर दी हैं । उन्होंने केवल अपीलकर्ता के विरूद्ध जो अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है उससे सम्बन्धित कागजात पत्र 1 से 12 संलग्न किये है लेकिन यह कहीं पर उल्लेखित नहीं है कि अपीलकर्ता ने जो जानकारी मांगी है वह प्रदान कर दी है। इन कागजातों का इस प्रकरण में मांगी गई जानकारी से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

7. अपीलकर्ता ने आवेदन पत्र दिनांक 18.05.06 को पुनः लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत किया जिसकी प्रति राज्य सूचना आयोग में 03.06.06 को प्राप्त हुई। इस पत्र में उल्लेख किया है कि दिनांक 24.12.2006 के आवेदन में जो जानकारी चाही गई है उसमें से 6A के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं दी गई और न ही जानकारी के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उल्लेख किया है । 6B के बिन्दु क्रमांक VII छठवें बाल संजीवनी अभियान के ग्रोथ चार्ट के सम्बन्ध में अपूर्ण जानकारी दी गई है । 6B के 1–6 तक कोई जानकारी नहीं दी गई। 6B में पोषण आहार पंजी, उपस्थिति पंजी, परियोजना की संकलित रिपोर्ट पंजी के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं दी गई है । 6C में जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय का स्थापना सम्बन्धी व्यय पत्रक जून 2005 से नवम्बर 2005 तक चाहा गया था किन्तु सिर्फ जून 2005 का ही व्यय पत्रक दिया गया है। अन्य व्यय पत्रक अर्थात जुलाई 2005 से नवम्बर 2005 तक के नहीं दिये गये हैं। 6D, 6E, की कोई जानकारी नहीं दी गई है। 6F में जो जानकारी चाही थी उसे भी नहीं दिया गया है ना ही इसका किसी प्रकार से उल्लेख किया गया है। 6G 1 एवं 2,3,5 की कोई जानकारी नहीं दी गई है 6G 4 की जो जानकारी दी गई है वह भी जो मांगी थी वह न देकर पिछली जानकारी दी गई है

8. इस प्रकरण में मौखिक सुनवाई दिनांक 10.07.2006 को रखी गई थी जिसमें लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलकर्ता को उपस्थित होने के लिये सूचना दी गई थी। उक्त दिनांक को लोक सूचना अधिकारी उपस्थित नहीं हुई लेकिन उनका एक पत्र क्रमांक मवावि/सू0अ0/06/712/दिनांक 23.03.2006 राज्य सूचना आयोग में दिनांक 29.06.2006 को प्राप्त हुआ था जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि उक्त अपील A–225 किस सम्बन्ध में है, अपील के सम्बन्धित कागजात उपलब्ध कराये जाये। यहां यह उल्लेखनीय है कि अपीलकर्ता को अपील की प्रति राज्य सूचना आयोग के पत्र क्र0/ए–225/रासूआ/53/ग्वालियर/2006/591 दिनांक 11 मई 2006 को स्पीड

पोस्ट से भेजी गयी थी और उनसे दिनांक 25.05.2006 तक अपील के बिन्दुओं पर प्रतिवेदन मांगा गया था लोक सूचना अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 07.05.06 के द्वारा उत्तर भी प्रस्तुत किया था । उन्होंने उपस्थिति के लिये जो पत्र भेजा गया था उसमें भी अपील के क्रमांक का उल्लेख किया गया था । राज्य सूचना आयोग द्वारा प्रत्येक अपील का नम्बर दिया जाता है इस अपील पर उत्तर देने के बाद यह पूछना अपील का विषय क्या है और अपील सं सम्बन्धित कागज़ात भेजे जाये कोई मायने नहीं रखता है।

9. इस प्रकरण में अपीलकर्ता दिनांक 10.07.06 को उपस्थित हुए और उन्हें सुना गया । लोक सूचना अधिकारी को राज्य सूचना आयोग के पत्र क्रमांक ए/225/रासूआ/53/ग्वालियर/2006/1088 दिनांक 12 जून 2006 क्षरा स्पीड पोस्ट से दिनांक 10.07.2006 को उपस्थिति के लिये सूचना पत्र भेजा गया था लेकिन वह उपस्थित नहीं हुई । अपीलकर्ता ने यह बताया कि उन्होंने अपने पत्र दिनांक 24.12.06 के द्वारा जो जानकारी मांगी गई थी उसमें निम्नलिखित जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है–

1. A. एनिमिया प्रोग्राम के तहत इस जिले को यूनिसेफ से कितनी राशि इस वर्ष 1 जनवरी 2005 से अब तक खर्च हुई के अन्तर्गत प्रत्येक माह के व्यय पत्रक की फोटो प्रति– जानकारी नहीं दी गई।

2. B. छठे बाल संजीवनी अभियान के अन्तर्गत इस वर्ष छपवाये गये ग्रोथ चार्ट, पो0 आ0 पंजी, उपस्थिति पंजी, वजन चार्ट पंजी, परियोजना की संकलित रिपोर्ट पंजी छपवाये गये हैं के सम्बन्ध में निम्न पत्रक –

   I. कुटेशन मंगाने के पत्र की फोटो प्रति।
   II. कुटेशन कहां–कहां से आये उन पत्रों की फोटो प्रति ।
   III. कुटेशन का तुलनात्मक पत्रक ।
   IV. सामग्री मंगाये जाने के आदेश की प्रति ।
   V. सामाग्री के बिल की फोटो प्रति ।
   VI- क्रमांक (I) लगायत (V) के सम्बन्ध में जो भी कार्यवाही हुई है। उससे सम्बन्धित नोट–शीट की फोटो प्रति

   –सिर्फ ग्रोथ चार्ट के सम्बन्ध में अपूर्ण जानकारी दी गई है जिसमें (III) कुटेशन तुलनात्मक पत्रक है (V) बिल की प्रति (IV) ग्रोथ चार्ट मंगाये जाने के आदेश की प्रति है साथ ही (VI) नोट शीट की प्रति हैं किन्तु कोई भी प्रति प्रमाणित नहीं है । साथ ही पो0 आ0 पंजी, उपस्थिति पंजी, वजन चार्ट पंजी, परियोजना की संकलित रिपोर्ट पंजी के सम्बन्ध में (I) एक लगायत (VI) छह की जानकारी नहीं दी गई है।

3. 6C- जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय का स्थापना सम्बन्धी व्यय पत्रक जून 2005 से नवंबर 2005 तक मांगा गया था किन्तु सिर्फ जून 2005 का व्यय पत्रक दिया गया है। जुलाई से नवम्बर तक का व्यय पत्रक नहीं दिया गया है। जून का व्यय पत्रक भी प्रमाणित नहीं हैं ।

4. 6D- श्रीमती उषा शाक्या, पर्यवेक्षक 2003 में अबतक(आवेदन जमा करने की स्थिति तक) अवकाश स्वीकृत करने के आदेश की प्रतिलिपि एवं अवकाश के सम्बन्ध में सम्पूर्ण नोटशीट की प्रतिलिपि एवं अवकाश से सम्बन्धित नोटशीट की प्रतिलिपि चाही गई थी – नही दी गई है।

5. 6E- सबलगढ़ परियोजना जिसकी श्रीमान जी प्रभारी अधिकारी हैं (श्रीमती अलूना जी) महालेखाकार कार्यालय द्वारा किशोर बालिका प्रशिक्षण में की गई अनियमितताओं के वसूली के पत्र की फोटो प्रति एवं उससे सम्बन्धित कोई कार्यवाही हुई हो उससे सम्बिन्धित पत्र की फोटो प्रति – नहीं दी गई ।

6. 6F- श्रीमती उषा शाक्य एवं उसके पति द्वारा मकान किराया भत्ता प्राप्त किया जा रहा था उससे सम्बन्धित CMHO एवं BMO का पत्र जो परियोजना अधिकारी सबलगढ़ के नाम है, उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि तथा इस वसूली के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही हुई हो तो उससे सम्बन्धित कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि, वसूली वा चार्ट इत्यादि – चाही गई जानकारी नहीं दी गई सिर्फ एक पत्र क्रमांक 333 दिनांक 08.12.04 दिया गा है जो मांगा ही नहीं गया था।

7. 6G- श्रीमती उषा शाक्य पर्यवेक्षक सबलगढ से सम्बन्धित निम्न पत्रों की फोटो प्रति–

   I- SDM महोदय सबलगढ़ द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय (श्री अगनानीजी) को लिखा गया अर्द्धशासकीय पत्र की फोटो प्रति ।

   II- SDM महोदय सबलगढ़ के अर्द्धशासकीय पत्र के आधार पर संचालनालय/आयुक्त को लिखे पत्र/DO की प्रतिलिपि ।

   III- श्रीमती उषा शाक्य को भारमुक्त करने का जिला कार्यक्रम अधिकारी का पत्र जो परियोजना अधिकारी सबलगढ़ को लिखा गया । पत्र की फोटो प्रति ।

   IV- श्रीमती उषा शाक्य को भारमुक्त किया गया उस पत्र की फोटो प्रति।

   V- श्रीमती उषा शाक्य को भारमुक्त करने के पश्चात् भी किस अधिकार से कार्य कराया जा रहा है उससे सम्बन्धित पत्र की

फोटो प्रति, उनके ज्वाइनिंग की फोटो प्रति, उसमें जो मेडीकल लगे हैं उसकी फोटो प्रति.।

– इसमें G I II III V जानकारी दी ही नहीं गई तथा G IV में जो मेडीकल दिया गया है वह भी इससे सम्बन्धित नहीं है कोई भी जानकारी प्रमाणित नहीं है।

10. इस प्रकरण में सुनवाई दिनांक 10.07.2006 को समाप्त हो चुकी थी। दिनांक 11.07.2006 को उन्होंने पत्र क्रमांक/मवावि/सू0अ0/06/784 दिनांक 07.07.2006 प्राप्त हुआ । जिसमें उन्होंने दिनांक 23.06.2006 के पत्र उल्लेख करते हुए यह जानकारी चाही है कि अपील किस विषय पर है और उससे सम्बन्धित कागज़ात उन्हें भेजे जायें । जैसा कि पहले उल्लेखित किया जा चुका है इस अपील के सम्बन्ध में सारे कागज़ात उन्हें पहले भेजे जा चुके हैं और इस सम्बन्ध में उनका उत्तर भी प्राप्त हो चुका है। ऐसी स्थिति में उनका अपील के प्रपत्रों की जानकारी मांगना इस बात का द्योतक है कि लोक सूचना अधिकारी जो महिला एवं बाल विकास अधिकारी हैं उन्हें न तो अपने कार्यालय के सम्बन्ध में कोई जानकारी रहती है और न ही उन्हें नियमों का ज्ञान है ।

11. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7 (1) के अन्तर्गत सूचना प्रदान करने का दायित्व लोक सूचना अधिकारी का है और यह जानकारी 30 दिन के अन्दर आवेदक को प्रदान करना चाहिए । इस प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी ने आवेदन पत्र दिनांक 24.06.05 को दिया गया था जिसमें लोक सूचना अधिकारी ने 29.12.05 को आदेश पारित किया था और अपील अधिकारी ने 01.02.06 को आदेश पारित किया था और लोक सूचना अधिकारी के आदेश को निरस्त किया गया । यह प्रकरण अपील अधिकारी के आदेश को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में है। जिन बिन्दुओं में अपीलकर्ता को अपूर्ण जानकारी दी गयी है और जिनका उल्लेख इस आदेश की कण्डिका 9 में किया गया है। उन पर लोक सूचना अधिकारी दिनांक 10 अगस्त 2006 तक आदेश को कार्यान्वित कर पालन प्रतिवेदन राज्य सूचना आयोग में प्रस्तुत करेंगे।

12. इस प्रकरण में अत्याधिक विलम्ब हुआ है। इस सम्बन्ध में अलग से कार्यवाही सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अनुसार अलग से कार्यवाही की जायेगी।

(टी0एन0श्रीवास्तव)
मुख्य सूचना आयुक्त
29.07.06